देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

कार्य–परिषद् की बैठक गुरूवार दिनांक 30.8.2018 को पूर्वान्ह 11:30 बजे कुलपति कार्यालय के समिति कक्ष, नालंदा परिसर, आर.एन.टी. मार्ग, इन्दौर में आयोजित की गई।

बैठक में निम्नांकित सदस्य उपस्थित थे :

1.	डॉ. एन.के. धाकड़, कुलपति	अध्यक्ष
2.	डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया	सदस्य
3.	प्रो. मोहन लाल छीपा	सदस्य
4	श्रीमती गीता मरकाम	सदस्य
5.	डॉ.(श्रीमती) रागिनी मक्खर	सदस्य
6.	श्री आलोक डावर	सदस्य
7.	डॉ. रवि वर्मा	सदस्य
8.	डॉ. के.एन. चतुर्वेदी (प्रतिनिधि, प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग)	सदस्य
9.	श्री देवधर दरवाई (प्रतिनिधि, वित्त विभाग, म.प्र. शासन)	सदस्य
10.	डॉ. विजय बाबू गुप्ता	सदस्य
11.	डॉ. के. हजेला	सदस्य
12.	डॉ. ए.व्ही. बजाज	सदस्य
13.	डॉ. अशोक कुमार शर्मा	सदस्य
14.	डॉ. एच.एस. अनिजवाल	सदस्य
15	डॉ. कुसुमलता निगवाल	सदस्य
16.	डॉ. सुमित्रा वास्केल	सदस्य
17.	श्री अजय वर्मा, प्रभारी कुलसचिव	सचिव

बैठक में निम्नांकित सदस्य अनुपस्थित थे :

1.	डॉ. आर.के. माथुर	सदस्य

बैठक का प्रारम्भ विश्वविद्यालय के कुलगीत से किया गया।

माननीय कुलपतिजी द्वारा समस्त माननीय सदस्यों का स्वागत किया गया।
बैठक के प्रारम्भ में माननीय कुलपतिजी द्वारा अवगत कराया गया कि –

1 माननीय कार्य–परिषद् सदस्य डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ का चांसलर नियुक्त किया गया है।

कार्य–परिषद् द्वारा डॉ. प्रकाश सी. बरतूनिया को बधाई दी गई एवं पुष्प–गुच्छ से अभिनंदन किया गया।

2 देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर का नाम **'World Book of Records'** में "मेरा तिरंगा–मेरा अभियान" के अंतर्गत विश्व का सबसे लंबा तिरंगा (12 **km**) लहराने का कीर्तिमान स्थापित करने वाली संस्थाओं के साथ सह–आयोजक के रूप में सम्मिलित किया गया है।

कार्य–परिषद् द्वारा करतल ध्वनि से बधाई प्रेषित की गई।

तदुपरांत माननीय अध्यक्ष की अनुमति से कुलसचिव द्वारा बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई।

कार्य–वृत्त

विषय क्र.:1: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 19.7.2018 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि विषयक।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 19.7.2018 के कार्य–विवरण का अवलोकन किया गया एवं निर्णय लिया कि कार्य–परिषद् की बैठक दि.19.7.2018 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि निम्नांकित संशोधन के साथ की जाए :

विषय क्र.21 में 'शुल्क मुक्ति' के स्थान पर 'शुल्क में छूट' पढ़ा जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग एव आई.ई.टी.)

विषय क्र.:2: कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 19.7.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही का पालन प्रतिवेदन बाबत्।

परिषद् द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 19.7.2018 में लिए गए निर्णयों पर अनुगामी कार्यवाही ग्राह्य की गई।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:3: माह मार्च से मई 2018 की सेमेस्टर परीक्षा के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय लिया कि माह मार्च से मई 2018 की सेमेस्टर परीक्षा के प्रकरणों के संबंध में यू.एफ.एम. समिति के निर्णय मान्य किए जाएं।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:4: सत्र 2018 की सेमेस्टर/मुख्य/पूरक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/ प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र–छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति के गठन पर विचार।

अवगत कराया गया कि कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 9.3.2018 में लिए गए निर्णयानुसार सत्र 2018 की सेमेस्टर/मुख्य/पूरक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/ प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र–छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति में डॉ. (श्रीमती) रागिनी मक्खर, सदस्य कार्य–परिषद् को अध्यक्ष मनोनीत किया गया था। उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय के पत्र क्र.608/2001/सी–3/38 दिनांक 28.2.2001 अनुसार समिति में अशासकीय व्यक्तियों को नहीं रखा जाना है। यह जानकारी दी गई कि जब डॉ (श्रीमती) रागिनी मक्खर को अनुचित साधनों के प्रकरणों के निराकरण हेतु निर्णायक समिति में नामांकित किया गया था, तब शासकीय/ शैक्षणिक वर्ग के प्राध्यापकों का मनोनयन कार्य–परिषद में नहीं हुआ था। अब चूंकि कार्य–परिषद् में शैक्षणिक वर्ग के प्राध्यापकों का मनोनयन हो गया है, अतः समिति में एक कार्य–परिषद् सदस्य एवं समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किया जाना है।

निर्णय लिया कि सत्र 2018 की सेमेस्टर/मुख्य/पूरक परीक्षाओं में अनुचित साधनों का प्रयोग करने वाले/ प्रयोग करने का प्रयास करने वाले छात्र–छात्राओं के प्रकरणों के निराकरण हेतु गठित निर्णायक समिति में डॉ. (श्रीमती) रागिनी मक्खर, सदस्य कार्य–परिषद् के स्थान पर डॉ. कुसुमलता निगवाल, कार्य–परिषद् सदस्य एवं प्राचार्य, शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय, किला मैदान को मनोनीत किया जाए। यह भी निर्णय लिया कि डॉ. के.हजेला, संकायाध्यक्ष एवं आचार्य, जीवन विज्ञान अध्ययनशाला, इन्दौर को समिति का अध्यक्ष मनोनीत किया जाए।

(कार्यवाहीः गोपनीय विभाग)

विषय क्र.:5: पुराने कम्प्यूटर्स शासकीय/ निजी स्कूलों में निःशुल्क देने बाबत्।

निर्णय लिया कि पुराने कम्प्यूटर्स दीनदयाल उपाध्याय कौशल विकास योजना के अंतर्गत चलाए जा रहे पाठ्यक्रम के विद्यार्थियां से सुधरवाकर शासकीय/ निजी स्कूलों में निःशुल्क प्रदान करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

यह भी निर्णय लिया गया कि जिन शासकीय/ निजी स्कूलों में आवश्यकता है, उनकी पात्रता का निर्धारण समिति का गठन कर किया जाए। समिति की अनुशंसा पर ही संबंधित संस्थाओं को कम्प्यूटर प्रदान किए जाएं।

(कार्यवाहीः भंडार विभाग)

विषय क्र.:6: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के विभिन्न परिसरों– नालंदा परिसर, तक्षशिला परिसर, आई.ई.टी. परिसर एवं आवासीय परिसरों की सुरक्षा हेतु संचालक, कृष्णा सिक्यूरिटी सर्विस, भोपाल से हुए अनुबंध में निविदा की शर्तों के अनुसार तथा इनसे प्राप्त पत्रानुसार 01 वर्ष की वृद्धि करने पर विचार।

निर्णय लिया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर के विभिन्न परिसरों– नालंदा परिसर, तक्षशिला परिसर, आई.ई.टी. परिसर एवं आवासीय परिसरों की सुरक्षा हेतु संचालक, कृष्णा सिक्यूरिटी सर्विस, भोपाल से हुए अनुबंध में निविदा की शर्तों में आवश्यक संशोधन करने के उपरांत 01 वर्ष की वृद्धि की जाए।

यह भी निर्णय लिया कि तीनों परिसरों की सुरक्षा के लिए सेवा–निवृत्त डीएसपी रैंक के पुलिस या बीएसएफ अधिकारियों की सेवाएं लिए जाने एवं उनके वेतन निर्धारण तथा निविदा शर्तों में संशोधन पर विचार करने हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाए :

1. डॉ. के.हजेला, आचार्य एवं संकायाध्यक्ष, जीवन विज्ञान अध्ययनशाला –संयोजक
2. डॉ.ए.व्ही.बजाज, आचार्य, रसायनशास्त्र अध्ययनशाला – सदस्य
3. डॉ. दीपक मेहता, प्रभारी तक्षशिला परिसर – सदस्य
4. डॉ. चंदन गुप्ता, प्रोड्यूसर, ई.एम.आर.सी – सदस्य

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.:7: कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला के मल्टीमीडिया हॉल का किराया रू.2500/– से बढ़ाकर रू.10000/– किए जाने बाबत्।

निर्णय लिया कि कम्प्यटर विज्ञान अध्ययनशाला के मल्टीमीडिया हॉल का किराया रू.2500/– से बढ़ाकर रू.10000/– किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः कम्प्यूटर विज्ञान अध्ययनशाला)

विषय क्र.:8: विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दि. 31.7.2018 एवं दि.10.8.2018 के कार्य विवरणों पर विचार।

विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दि. 31.7.2018 एवं दि.10.8.2018 के कार्य–विवरणों के अवलोकन उपरांत निर्णय लिया कि विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दि. 31.7.2018 एवं दि.10.8.2018 की अनुशंसाएं मान्य की जाएं।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.:9: **कार्य–परिषद सदस्यों–डॉ. विजय बाबू गुप्ता, डॉ. अशोक कुमार एवं डॉ. ए.व्ही.बजाज द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दि.19.7.2018 के कार्य–विवरण पर प्रस्तुत टीका अवलोकनार्थ प्रस्तुत।**

निर्णय लिया कि कार्य–परिषद सदस्यों–डॉ. विजय बाबू गुप्ता, डॉ. अशोक कुमार एवं डॉ. ए.व्ही.बजाज द्वारा कार्य–परिषद् की बैठक दि.19.7.2018 के कार्य–विवरण पर प्रस्तुत निम्न टीका मान्य की जाएं :

1. विगत पांच वर्षों अथवा इससे अधिक अवधि से देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की अध्ययनशालाओं में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर का संतोषजनक शिक्षण कार्यानुभव रखने वाले शिक्षक हेतु वेतन रू.40,000/– प्रतिमाह तथा 10 वर्ष अथवा इससे अधिक शिक्षण कार्यानुभव रखने वाले शिक्षक हेतु वेतन रू.45,000/– प्रतिमाह।
2. मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्र.526 दि. 28.9.2017 द्वारा प्रकाशित ''मध्यप्रदेश सिविल पदों पर संविदा नियुक्ति नियम 2017'' को अंगीकृत किया जाए।
3. विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर एवं आई.ई.टी. परिसर में पानी की समुचित व्यवस्था हेतु तीन ओवरहेड टैंक बनाए जाने हेतु प्रकरण भवन समिति में प्रस्तुत किया जाए।।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग एवं यात्रिक विभाग)

विषय क्र.:10: **स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि एवं कॅरियर एडवान्समेंट योजना स्वीकृत किए जाने के संबंध में विचार बाबत्।**

वार्षिक वेतनवृद्धि: अवगत कराया गया कि आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, मध्यप्रदेश, भोपाल के पत्र क्रमांक 2484/1312/13/वि.वि./08/138/06 भोपाल, दिनांक 19.05.2006 के द्वारा देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर में संचालित विभिन्न स्व–वित्तीय पाठ्यक्रमों के लिये मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 के प्रावधानों के तहत 245 शैक्षणिक पदों को एग्जिट पालिसी के तहत स्वीकृत कर नियुक्ति करने की अनुमति प्रदान की गई थी, जिसे कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 03.06.2006 में सूचनार्थ प्रस्तुत किया गया था।

स्वीकृत पदों पर देवी अहिल्या विश्वविद्यालय द्वारा यू.जी.सी. एवं ए.आई.सी.टी.ई. के मानदण्डों का पालन करते हुए तथा मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 49(2) के अनुसार गठित चयन समिति के द्वारा लिये गये साक्षात्कार के पश्चात् विश्वविद्यालय की कार्य–परिषद द्वारा अनुमोदन पश्चात् वर्ष 2007 में नियमित नियुक्तियां की गई थी।

नियुक्त शिक्षकों के आदेश की कंडिका–3 में उल्लेख किया गया था कि **“The appointment shall be initially on a probation for two years and the university may extend it for one more year”.** स्ववित्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों की सेवावधि दो वर्ष पूर्ण होने पर नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रकरण को कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 05.11.2009 में प्रस्तुत किया गया।

''कार्य–परिषद द्वारा निर्णय लिया गया कि स्व–वित्तीय पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अध्ययनशालाओं हेतु स्वीकृत पदों पर नियुक्त शिक्षकों के दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने पर वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाए।''

उक्त निर्णय के परिपालन में स्व–वित्तीय पाठ्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न अध्ययनशालाओं में नियुक्त शिक्षकों के दो वर्ष की सेवा अवधि पूर्ण करने संबंधी जानकारी विभागाध्यक्ष से प्राप्त की गई। जानकारी प्राप्त होने पर दो वर्ष की सेवा अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत किये जाने के संबंध में प्रमाण–पत्र जारी किया गया।

तदुपरान्त स्ववित्त पाठ्यक्रम के अन्तर्गत नियुक्त शिक्षकों को नियमित वार्षिक वेतनवृद्धि स्वीकृत की जाती रही है।

कॅरियर एडवान्समेंट स्कीम : कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 25.6.2018 के विषय क्र.14–कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत चयन समिति के लिफाफे खोले गए थे जिसके संबंध में कार्य–परिषद् की बैठक में डॉ. के.एन. चतुर्वेदी, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा एवं श्री आलोक डावर, सदस्य कार्य–परिषद् ने कहा था कि शासन द्वारा स्वीकृत स्व–वित्तीय पदों पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की अनुशंसाओं पर क्रियान्वयन किए जाने से पूर्व अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जाए। उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इसे पुनः कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। तद्नुसार निर्णय लिया कि शासन द्वारा स्वीकृत स्व–वित्तीय पदों पर पदोन्नति हेतु चयन समिति की अनुशंसाओं पर क्रियान्वयन किए जाने से पूर्व अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त की जाए। उच्च शिक्षा विभाग, भोपाल से अनुमोदन/स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् इसे पुनः कार्य–परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 19.7.2018 में विषय क्र.1 में कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 25.6.2018 के कार्य–विवरण की सम्पुष्टि निम्न शर्तों के साथ की गई –"यह भी निर्णय लिया कि विषय क्र.14 में नियमित पदों पर कार्यरत शिक्षकों के कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत चयन समिति द्वारा की गई पदोन्नति की अनुशंसाओं की सम्पुष्टि की जाए एवं शेष स्व–वित्त पदों के संबंध में लिए गए निर्णय की सम्पुष्टि पर आगामी बैठक में विचार किया जाए।"

स्व–वित्तीय शिक्षकीय पदों पर कॅरियर एडवांसमेंट योजना के अंतर्गत चयनित शिक्षकों की पदोन्नति प्रकरणों पर लिए गए निर्णय की सम्पुष्टि नहीं होने के कारण प्रकरण अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग को स्वीकृति हेतु नहीं भेजा जा सका।

कार्य–परिषद् सदस्य डॉ प्रकाश सी, वरतूनिया, डॉ.रागिनी मक्खर, डॉ. मोहनलाल छीपा, डॉ. विजय बाबू गुप्ता, डॉ. अशोक शर्मा एवं अन्य सदस्यों द्वारा अभिमत व्यक्त किया गया कि चूंकि स्ववित्तीय पाठ्यक्रमों के शिक्षकों को पूर्व में कॅरियर एडवांसमेंट योजना का लाभ दिया गया एवं वार्षिक वेतनवृद्धि भी दी जाती रही है। अतः पूर्वानुसार ही कॅरियर एडवांसमेंट योजना तथा वेतनवृद्धि दी जाए। माननीय कुलपतिजी एवं अध्यक्ष, कार्य–परिषद् द्वारा उपरोक्त अभिमत से सहमति व्यक्त की गई।

मध्यप्रदेश शासन के प्रतिनिधि डॉ. के.एन. चतुर्वेदी, अतिरिक्त संचालक, उच्च शिक्षा एवं डॉ.एच.एस. अनिजवाल, प्राचार्य द्वारा कहा गया कि वे उपरोक्त प्रस्ताव से सहमत नहीं हैं। एक्ज़िट पॉलिसी नियमों के अंतर्गत स्वीकृत शिक्षकीय पदों पर नियुक्त किए गए शिक्षकों को कॅरियर एडवांसमेंट योजना /वेतनवृद्धि का लाभ दिए जाने के पूर्व प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा विभाग से स्वीकृति प्राप्त की जाना उचित होगा।

प्रभारी कुलसचिव/ सचिव द्वारा कहा गया कि एक्ज़िट पालिसी के अंतर्गत शासन द्वारा स्व–वित्त पाठ्यक्रमों के स्वीकृत शिक्षकीय पदों पर की गई नियुक्तियों में नियमित पदों के समान कॅरियर एडवांसमेंट स्कीम/वेतनवृद्धि तथा अन्य सेवा शर्तें लागू करने के कारण पेंशन/सेवा–निवृत्ति लाभों से संबंधित न्यायालयीन प्रकरण बन रहे हैं। अतः इस संबंध में उच्च शिक्षा विभाग की स्वीकृति प्राप्त की जाना उचित होगा।

विचारोपरांत निर्णय लिया कि स्व–वित्तीय पाठ्यक्रम के अंतर्गत नियुक्त शिक्षकों को वार्षिक वेतनवृद्धि एवं कॅरियर एडवान्समेंट योजना की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:11: क्रीड़ा समिति में दो सदस्यों का मनोनयन किए जाने बाबत्।

निर्णय लिया कि क्रीड़ा समिति में श्री संदीप श्रीवास (बास्केटबॉल), इन्दौर एवं डॉ. अविनाश यादव, क्रीड़ा अधिकारी, सेंट पॉल महाविद्यालय, इन्दौर का मनोनयन किया जाए।

(कार्यवाहीः क्रीड़ा विभाग)

अध्यक्ष की अनुमति से अन्य विषय

विषय क्र.:12: डॉ. अजय कुमार जैन, वरिष्ठ व्याख्याता, प्रबंधन अध्ययन संस्थान् (स्ववित्त) के दिनांक 27.9.2018 से 26.9.2020 तक दो वर्ष के असाधारण अवकाश वृद्धि की स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि डॉ. अजय कुमार जैन, वरिष्ठ व्याख्याता, प्रबंध अध्ययन संस्थान् (स्ववित्त) के दिनांक 27.9.2018 से 26.9.2020 तक दो वर्ष के असाधारण अवकाश वृद्धि की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:13: प्रबंध अध्ययन संस्थान् द्वारा नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (एन.एच.डी.सी.) के लिए कन्सलटेन्सी कार्य करने हेतु मेमोरण्डम ऑफ अंडरस्टेंडिंग करने बाबत्।

निर्णय लिया कि प्रबंध अध्ययन संस्थान् द्वारा नर्मदा हाईड्रोइलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल (एन.एच.डी.सी.) के साथ पिपुल केपेबिलिटी मैच्यूरिटी मॉडल पी.सी.एम.एम.) के लिए कन्सलटेंसी कार्य (कन्सलटेंसी फीस रू.4,96,780/–) किए जाने का एम.ओ.यू. किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः प्रबंध अध्ययन संस्थान्)

विषय क्र.:14: अधिवक्ता श्री ए.के. सेठी के 07 देयकों की कुल राशि रू.3,85,000/– की स्वीकृत प्रदान करने के संबंध में।

अवगत कराया गया कि महत्वपूर्ण प्रकरणों में माननीय उच्च न्यायालय में विश्वविद्यालय के विरूद्ध दायर याचिका में शासन एवं विश्वविद्यालय के प्रतिरक्षण हेतु वरिष्ठ अधिवक्ता श्री ए.के. सेठी को नियुक्त किया गया था। श्री ए.के. सेठी द्वारा 07 प्रकरणों में दिए गए देयकों की कुल राशि रू.3,85,000/–भुगतान योग्य है।

निर्णय लिया कि अधिवक्ता श्री ए.के. सेठी के 07 देयकों की कुल राशि रू.3,85,000/– के भुगतान की स्वीकृत प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः विधि प्रकोष्ठ)

विषय क्र.:15: **अर्थशास्त्र अध्ययनशाला द्वारा प्रस्तावित दो नए पाठ्यक्रम Diploma in Defence Economics एवं Diploma in NGO Management अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।**

निर्णय लिया कि अर्थशास्त्र अध्ययनशाला द्वारा प्रस्तावित दो नए पाठ्यक्रम **Diploma in Defence Economics** एवं **Diploma in NGO Management** प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः अर्थशास्त्र अध्ययनशाला)

विषय क्र.:16: डॉ. निरंजन श्रीवास्तव, व्याख्याता सिलेक्शन ग्रेड को रीडर पदनाम दिए जाने के संबंध में।

निर्णय लिया कि डॉ. निरंजन श्रीवास्तव, व्याख्याता सिलेक्शन ग्रेड को दि. 25.7.2016 को पी–एच.डी. उपाधि प्राप्त करने पर अध्यादेश–4 (बी) के अनुसार दिनांक 25.7.2016 से रीडर पदनाम दिए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:17: आई.ई.टी. संस्थान् के छात्र एवं कन्या छात्रावासों के नामकरण का प्रस्ताव बाबत्।

निर्णय लिया कि आई.ई.टी. संस्थान् परिसर में निर्मित छात्र एवं कन्या छात्रावासों के नामकरण निम्नानुसार मान्य किए गए :

1.	आई.ई.टी. छात्र छात्रावास –A	विश्वैश्वर्या छात्र छात्रावास
2.	आई.ई.टी. छात्र छात्रावास –B	रामानुजन छात्र छात्रावास
3.	आई.ई.टी. छात्र छात्रावास –C	सत्येन्द्र नाथ बोस छात्र छात्रावास
4.	आई.ई.टी. छात्र छात्रावास –D	विक्रम साराभाई छात्र छात्रावास
5.	आई.ई.टी.कन्या छात्रावास –A	बच्छेन्द्री पाल कन्या छात्रावास

(कार्यवाहीः आई.ई.टी.)

विषय क्र.:18: आई.टी. सेन्टर हेतु **GeM (Government of India e-Portal Precurement)** के माध्यम से राशि रू.8,18,397/– कम्प्यूटर सर्वर क्रय की स्वीकृति विषयक।

अवगत कराया गया कि कार्य–परिषद् की बैठक दिनांक 9.3.2018 के निर्णयानुसार आई.टी. सेन्टर हेतु **GeM (Government of India e-Portal Precurement)** के माध्यम से राशि रू.7.50 लाख के कम्प्यूटर सर्वर क्रय की अनुमति प्रदान की गई थी। तत्पश्चात् **GeM** के माध्यम से निविदाएं आमंत्रित कर दिनांक 3.8.2018 को ऑनलाईन वित्तीय बीड खोली गई, जिसमें **M/S Resseaux Private Limited** के द्वारा रू.8,18,397/– मूल्य दिया गया है। चूंकि वित्त समिति एवं माननीय कार्य–परिषद् द्वारा सर्वर क्रय हेतु रू.7.50 लाख की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि **M/S Resseaux Private Limited** के द्वारा रू.8,18,397/– मूल्य दिया गया है, जो प्राप्त स्वीकृति से 68,397/– अधिक है।

निर्णय लिया कि कम्प्यूटर सर्वर क्रय हेतु पूर्व में प्राप्त स्वीकृति रू.7.50 लाख से अधिक व्यय रू.68,397/– की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः आई.टी. सेंटर)

विषय क्र.:19: श्री यास्मिन शेख, व्याख्याता, आई.आई.पी.एस. के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि श्री यास्मिन शेख, व्याख्याता, आई.आई.पी.एस. को दि.1.8.2018 से 27.1.2019 तक 180 दिन (6 माह) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:20: डॉ. मुस्कान करमचंदानी, व्याख्याता, आई.आई.पी.एस. के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति विषयक।

निर्णय लिया कि डॉ. मुस्कान करमचंदानी, व्याख्याता, आई.आई.पी.एस. को दि.15.7.2018 से 14.7.2019 तक 365 दिन (1 वर्ष) के संतान पालन अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.:21: बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शेष राशि के व्यय की स्वीकृति बाबत्।

अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में रू.13.89 करोड़ स्वीकृत किए गए थे। उक्त योजना के अंतर्गत विश्वविद्यालय को कुल राशि रू.8,33,40,000/– प्राप्त हुए, जिसमें से राशि रू.8,93,98,671/– व्यय हुई, जिसका 2012–13 से 2017–18 (मार्च 2018) तक का उपयोगिता प्रमाण पत्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली को भेजा गया। तदुपरांत दिनांक 23 अगस्त, 2018 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा बारहवीं पंचवर्षीय योजना में शेष अव्ययित राशि के व्यय की अवधि 31.3.2019 तक बढ़ा दी गई। अतः शेष राशि रू.4,95,01,329/– के व्यय की स्वीकृति अपेक्षित है।

निर्णय लिया कि बारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शेष अव्ययित राशि रू.4,95,01,329/–, जिसके व्यय की अवधि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 31.3.2019 तक बढा दी गई है, के व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः विकास विभाग)

विषय क्र.:22: देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल पैदल घूमने आने वाले बाहरी व्यक्तियों से निर्धारित राशि विश्वविद्यालय में जमा कराकर पहचान–पत्र जारी किए जाने संबंध प्रकरण पर विचार।

सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया कि देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में प्रतिदिन प्रातः तथा सायंकाल पैदल घूमने आने वाले बाहरी व्यक्तियों से रू.365/– प्रतिवर्ष वार्षिक शुल्क एवं रू.135/– पंजीयन शुल्क (एक बार) कुल रू.500/– विश्वविद्यालय के खाते में जमा कराकर पहचान–पत्र जारी किए जाएं।

(कार्यवाहीः क्रीड़ा विभाग/ परिसर प्रभारी, तक्षशिला–नालंदा)

विषय क्र.:23: आई.ई.टी. में GEM Portal के स्थान पर MPeproc Portal से सामग्री क्रय करने बाबत्।

अवगत कराया गया कि कार्य–परिषद् की विगत बैठक दि.19.7.2018 में आई.ई.टी. में 26 मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर GEM Portal अथवा मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के पालन की शर्त पर क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई थी। GEM Portal Version 3.0 में Bid Create करने में कठिनाईयां आ रही हैं : (1) मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर के वांछित Technical specification को दर्शाने हेतु GEM Portal के Technical specification window (Option) में केवल आंशिक विकल्प उपलब्ध है, अतः शेष Technical specification दर्शाने में कठिनाईयां आ रही हैं एवं (2) क्रयकर्ता को GEM Portal पर स्वीकृत नियम एवं शर्तों को ही चुनना पड़ता है। यदि कोई नियम या शर्त GEM Portal पर उपलब्ध नहीं है, तो उसको अलग से अपलोड करने का प्रावधान नहीं है, जैसा कि Version 2.0 पर था।

क्रय करने में आ रही कठिनाई को दृष्टिगत रखते हुए निर्णय लिया कि आई.टी. सेंटर में मल्टीमीडिया प्रोजेक्टर क्रय किए जाने हेतु **GEM Portal** के स्थान पर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत **MPeproc Portal** से क्रय किए जाने स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः आई.ई.टी.)

विषय क्र.:24: श्री श्रवण कुमायु, एम.फिल. प्रवेश अभ्यार्थी से प्राप्त अभ्यावेदन– प्रवेश परीक्षा में आरक्षण नियमों के संदर्भ में अध्यादेश क्र.13 में संशोधन विषयक प्रकरण विचारार्थ प्रस्तुत।

अवगत कराया गया कि अध्यादेश क्र.13–एम.फिल. में प्रवेश परीक्षा में 'अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों को न्यूनतम 45 प्रतिशत अंक प्राप्त होने पर प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण माना जाए' यह संशोधन किया जाना प्रस्तावित है (यू.जी.सी. की नवीनतम गाईडलाईन अनुसार)।

निर्णय लिया कि अध्यादेश क्र.13–एम.फिल. प्रवेश परीक्षा के संबंध में उक्तानुसार संशोधन हेतु विद्या परिषद् की स्थाई समिति में प्रकरण प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाहीः शैक्षणिक विभाग)

विषय क्र.25: विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों (गैर शिक्षकीय) की सेवा निवृत्ति (अधिवार्षिकी) आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने विषयक।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अधिकारियों एवं कर्मचारियों (गैर शिक्षकीय) की सेवा निवृत्ति (अधिवार्षिकी) आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष किए जाने तथा मध्यप्रदेश शासन के नीति व आदेशों के अनुक्रम में 31 मार्च, 2018 से प्रभावशील किए जाने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाहीः स्थापना विभाग)

विषय क्र.26: विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.5.2018 के कार्यवाही विवरण विषय क्र.8 ग्राह्य करने बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय समन्वय समिति की 94वीं बैठक दिनांक 10.5.2018 के कार्यवाही विवरण विषय क्र.8 **"Statute No.3- The Registrar His-Emoluments and Conditions of Service, Powers and Duties {refer sechon 15-C and 16(6)}"** ग्राह्य किया जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

विषय क्र.27: श्री आलोक डावर, माननीय कार्य परिषद् से प्राप्त पत्र दिनांक 24.8.2018 पर विचार।

श्री आलोक डावर, माननीय कार्य परिषद् द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि विश्वविद्यालय के समस्त गर्ल्स एवं बॉयज़ होस्टल के अंदर सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी केमरे उपयुक्त स्थान पर, जहां लगाए जा सकते हैं, अविलम्ब लगाए जाएं, जनरेटर की व्यवस्था की जाए, जिन छात्रावासों में ट्यूबवेल नहीं हैं, वहां ट्यूबवेल बनवाए जाएं, छात्रावासों के अंदर पीने का स्वच्छ पानी मिले इसके लिए आर.ओ. प्लांट लगाया जाए एवं स्वच्छता की भी उचित व्यवस्था की जाए।

निर्णय लिया कि उक्त प्रस्ताव मान्य किया जाए।

(कार्यवाहीः भंडार विभाग एवं यांत्रिक विभाग)

विषय क्र.28: <u>आई.टी. सेंटर में GEM Portal के स्थान पर MPeproc Portal से सामग्री क्रय करने बाबत्।</u>

अवगत कराया गया कि कार्य–परिषद् की विगत बैठक दि.19.7.2018 में आई.टी. सेंटर में **Space and Energy efficient server (1 No.)** एवं **Core switch (1 No.) GEM Portal** अथवा मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के पालन की शर्त पर क्रय करने की अनुमति प्रदान की गई थी। **GEM Portal Version 3.0** में **Bid Create** करने में कठिनाईयां आ रही हैं : (1)दोनों सामग्रियों के वांछित **Technical specification** को दर्शाने हेतु **GEM Portal** के **Technical specification window (Option)** में केवल आंशिक विकल्प उपलब्ध है, अतः शेष **Technical specification** दर्शाने में कठिनाईयां आ रही हैं एवं (2) क्रयकर्ता को **GEM Portal** पर स्वीकृत नियम एवं शर्तों को ही चुनना पड़ता है। यदि कोई नियम या शर्त **GEM Portal** पर उपलब्ध नहीं है, तो उसको अलग से अपलोड करने का प्रावधान नहीं है, जैसा कि **Version 2.0** पर था।

निर्णय लिया कि आई.टी. सेंटर में **GEM Portal** के स्थान पर मध्यप्रदेश भण्डार क्रय नियम एवं सेवा उपार्जन नियम 2015 के अंतर्गत **MPeproc Portal** से **Space and Energy efficient server (1 No.)** एवं **Core switch (1 No.)** क्रय करने स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाही: आई.टी. सेंटर)

विषय क्र.29 <u>मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित दिनांक 28 सितम्बर, 2017 पर विचार।</u>

निर्णय लिया कि संविदा नियुक्ति के संबंध में मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार में प्रकाशित दिनांक 28 सितम्बर, 2017 को अंगीकृत किया जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.30: <u>श्री आलोक डावर, कार्य–परिषद् सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव में देवी अहिल्या विश्वविद्यालय के तक्षशिला परिसर में स्थित ऑडिटोरियम का नाम "श्री अटल बिहारी बाजपेयी सभागृह" रखे जाने का अनुरोध किया।</u>

निर्णय लिया कि प्रस्ताव मान्य किया जाए।

(कार्यवाही: प्रभारी, सांस्कृतिक भवन)

विषय क्र.31: <u>विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों का राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति अर्जित अवकाश का संचयन 300 दिन स्वीकृत किए जाने विषयक।</u>

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालयीन कर्मचारियों का राज्य शासन के कर्मचारियों की भांति अर्जित अवकाश का संचयन 300 दिन स्वीकृत किया जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.32: सांस्कृतिक कार्यक्रम (युवा उत्सव) में भागीदारी हेतु निर्णायकों/ संगतकारों के मानदेय में संशोधन बाबत्।

निर्णय लिया कि सांस्कृतिक कार्यक्रम (युवा उत्सव) में भागीदारी हेतु निर्णायकों को प्रति निर्णायक प्रति प्रतियोगिता मानदेय राशि रू.500/– में वृद्धि कर रू.1000/– (वाहन भत्ता सहित) स्वीकृत किया जाए एवं दल के साथ संगत करने वाले व्यावसायिक/ छात्र संगतकारों के लिए पारिश्रमिक/मानदेय राशि रू.3500/– संपूर्ण युवा उत्सव अवधि के स्थान पर स्थानीय स्तर पर अंतर–जिला विश्वविद्यालय स्तरीय में रू.2500/– तथा दल के साथ राज्य स्तरीय/क्षेत्रीय स्तर/राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले युवा उत्सव में संगत करने पर रू.3500/– प्रति प्रतियोगिता हेतु मानदेय स्वीकृत किया जाए।

(कार्यवाही: छात्र कल्याण विभाग)

विषय क्र.33 :विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 18 जुलाई, 2018 को जारी की गई अधिसूचना को अंगीकृत करने विषयक।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, नई दिल्ली द्वारा 18 जुलाई, 2018 को जारी की गई अधिसूचना 'विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में शिक्षकों और अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की नियुक्ति हेतु न्यूनतम अर्हता तथा उच्चतर शिक्षा में मानकों के रखरखाव हेतु अन्य उपाय संबंधी विनियम 2018' को अंगीकृत किया जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.34: अध्यादेश क्र.4(सी) एवं 4(डी) के प्रावधानानुसार अनुबंध आधार पर नियुक्ति बाबत्।

निर्णय लिया कि विश्वविद्यालय के विभिन्न संस्थान्/ अध्ययनशाला में शिक्षकीय पदों पर वर्तमान में प्रचलित रोस्टर अनुसार अध्यादेश क्र.4(सी) एवं 4(डी) के प्रावधानानुसार अनुबंध आधार पर नियुक्ति संबंधी प्रक्रिया प्रारम्भ करने की स्वीकृति प्रदान की जाए।

(कार्यवाही: स्थापना विभाग)

विषय क्र.35: मूल्यांकन की व्यवस्था पर पुनर्विचार हेतु प्रस्ताव– श्री आलोक डावर, कार्य–परिषद् सदस्य।

निर्णय लिया कि मूल्यांकन की व्यवस्था पर पुनर्विचार करने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया जाए :

1. डॉ. विजय बाबू गुप्ता, विभागाध्यक्ष एवं संकायाध्यक्ष, – अध्यक्ष
   डाटा साइंस एंड फारकॉस्टिंग अध्ययनशाला – सदस्य
2. डॉ. अशोक कुमार शर्मा, आचार्य, रसायनशास्त्र अध्ययनशाला – सदस्य
3. डॉ. एच.एस. अनिजवाल, प्राचार्य, – सदस्य
   शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, झाबुआ

(कार्यवाही: केन्द्रीय मूल्यांकन केन्द्र)

विषय क्र.36: श्री आलोक डावर द्वारा प्रस्ताव द्वारा पी–एच.डी. एवं एम.फिल. प्रवेश परीक्षा के परिणामों में अजा, अजजा एवं अपिव के छात्रों को 5 अंकों की छूट न देने के संबंध में जानकारी चाही गई।

माननीय कुलपतिजी द्वारा श्री आलोक डावर, कार्य–परिषद् को उक्त जानकारी से अवगत करा दिया गया।

(कार्यवाही: पीएचडी प्रवेश प्रकोष्ठ)

विषय क्र.:37: कार्य–परिषद् की बैठक में लिए गए निर्णयों पर समीक्षा करने बाबत्।

सम्माननीय सदस्यों द्वारा सुझाव दिया गया कि कार्य–परिषद् की बैठकों में लिए गए निर्णयों की समीक्षा हेतु एक बैठक आयोजित की जाए, जिसकी कार्य–सूची में कार्य–परिषद् में लिए गए निर्णयों की समीक्षा की जाए।

निर्णय लिया गया कि कार्य–परिषद् की बैठकों के निर्णयों के त्वरित पालन हेतु सर्वसंबंधित विभागाध्यक्षों, अधिकारियों को निर्देशित किया जाए।

(कार्यवाहीः समस्त विभागाध्यक्ष एवं अधिकारी)

विषय क्र.:38: कार्य–परिषद् सदस्य डॉ. मोहन लाल छीपा द्वारा सुझाव दिया गया कि आवास आवंटन समिति की बैठक आयोजित की जाए।

निर्णय लिया कि उक्त सुझाव मान्य किया जाए।

(कार्यवाहीः प्रशासन विभाग)

बैठक के अंत में कार्य–परिषद् द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्री अटल बिहारी बाजपेयी के निधन एवं कार्य–परिषद सदस्य डॉ. अशोक कुमार शर्मा के पिताजी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की गई।

अंत में अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापित कर एवं राष्ट्र गान के साथ बैठक समाप्त की गई।

हस्ता/–	हस्ता/–
(अजय वर्मा)	(डॉ. एन.के. धाकड़)
प्रभारी कुलसचिव/ सचिव	कुलपति/ अध्यक्ष